



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 121]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 29, 2017/चैत्र 8, 1939

No. 121]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 29, 2017/CHAITRA 8, 1939

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

हैदराबाद, 21 मार्च, 2017

बीमा सलाहकार समिति का पुनर्गठन

फा. सं. भा.बी.वि.वि.प्रा./बी.स.स/2/139/2017.—बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) की धारा 25 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा बीमा सलाहकार समिति (बैठकें) विनियम, 2000 के विनियम 3अ के अनुसार, प्राधिकरण बीमा सलाहकार समिति का पुनर्गठन करते हुए इसके द्वारा निम्नलिखित अधिसूचना बनाता है जो 25 मई, 2017 से प्रभावी होगी:

पुनर्गठित बीमा सलाहकार समिति निम्नानुसार है:—

1. अध्यक्ष, भारतीय जीवन बीमा निगम
2. अध्यक्ष-प्रबंध निदेशक, नेशनल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
3. अध्यक्ष-प्रबंध निदेशक, भारतीय साधारण बीमा निगम
4. प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, आईसीआईसीआई प्रुडेन्शियल लाइफ इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
5. प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, बजाज अलायंज़ जनरल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
6. अध्यक्ष-प्रबंध निदेशक, स्टार हेल्थ एण्ड अलॉयड इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
7. निदेशक, राष्ट्रीय बीमा अकादमी
8. अध्यक्ष, भारतीय बीमांकक संस्थान
9. अध्यक्ष, भारतीय बीमा दलाल संघ

10. अध्यक्ष, भारतीय बीमा सर्वेक्षक और हानि निर्धारक संस्थान
11. बीमा लोकपाल, गुवाहाटी
12. महा सचिव, भारतीय बीमा संस्थान
13. सचिव, साधारण बीमा परिषद
14. सचिव, जीवन बीमा परिषद
15. प्रबंध निदेशक, वाइडल हेल्थ टीपीए प्राइवेट लिमिटेड
16. अध्यक्ष, एसोचैम, राष्ट्रीय बीमा परिषद
17. प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, इंडियन बैंक
18. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सीएएमएस बीमा रिपोज़िटरी सर्विसेज़ लिमिटेड
19. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एक्सएल इंश्योरेंस कंपनी एसई, भारत स्थित शाखा
20. एम. राज्यलक्ष्मी राव
21. गोरखनाथ अग्रवाल
22. एम. कल्याणसुंदरम
23. एम. राजवर्धन रेड्डी
24. अदनान महमूद

टी. एस. विजयन, अध्यक्ष
[विज्ञापन. III/4/असा./485/16]

INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA

NOTIFICATION

Hyderabad, the 21st March, 2017

RECONSTITUTION OF INSURANCE ADVISORY COMMITTEE

F. No. IRDAI/AC/2/139/2017.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 25 of the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (41 of 1999), and in terms of Regulation 3A of the Insurance Advisory Committee (Meetings) Regulations, 2000, the Authority hereby makes the following notification reconstituting the Insurance Advisory Committee which will be effective from 25th May, 2017:

The reconstituted Insurance Advisory Committee is as under:—

1. Chairman, Life Insurance Corporation of India
2. Chairman-cum-Managing Director, National Insurance Co. Ltd.
3. Chairman-cum-Managing Director, General Insurance Corporation of India
4. MD & CEO, ICICI Prudential Life Insurance Co. Ltd.
5. MD & CEO, Bajaj Allianz General Insurance Co. Ltd.
6. Chairman-cum-Managing Director, Star Health & Allied Insurance Co. Ltd.
7. Director, National Insurance Academy
8. President, Institute of Actuaries of India
9. President, Insurance Brokers' Association of India

10. President, Indian Institute of Insurance Surveyors & Loss Assessors
11. Insurance Ombudsman, Guwahati
12. Secretary General, Insurance Institute of India
13. Secretary, General Insurance Council
14. Secretary, Life Insurance Council
15. Managing Director, Vidal Health TPA Private Ltd.
16. Chairman, ASSOCHAM, National Council for Insurance
17. Managing Director & CEO, Indian Bank
18. Chief Executive Officer, CAMS Insurance Repository Services Ltd.
19. Chief Executive Officer, XL Insurance Co. SE, Branch in India
20. M. Rajyalakshmi Rao
21. Goraknath Agarwal
22. M. Kalyanasundaram
23. M. Rajavardhan Reddy
24. Adnan Mahmood

T. S. VIJAYAN, Chairman
[ADVT.-III/4/Exty./485/16]